

पूर्व मध्य रेल  
जारी की गई अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 04 दिनांक 26.07.21  
संशोधन पर्ची संख्या 05  
दुर्घटना नियमावली - (हिन्दी संस्करण-2018)

**मद संख्या-01**

पृष्ठ संख्या 267- 286 पर परिशिष्ट - टी (आपदा से निपटने संबंधी नियम) को हटा दें और पुस्तक के प्रारंभ में दिए गए विषय सूची से भी परिशिष्ट 'टी' को हटाते हुए परिशिष्ट - 'यू' को परिशिष्ट 'टी' के रूप में नामांकित करें।

पू.म.रे / दुर्घटना नियमावली-(हिन्दी संस्करण-2018)संशोधन पर्ची -05 दिनांक 28.03.22

**मद संख्या:- 02**

पृष्ठ संख्या 81 पर एम-1 को संशोधित कर निम्नवत पढ़ें :-

एम-1 आंशिक या सम्पूर्ण पैनल /आर.आर.आई/ ई.आई की विफलता

पू.म.रे /दुर्घटना नियमावली -(हिन्दी संस्करण-2018) संशोधन पर्ची -05 दिनांक 28.03.22

**मद संख्या- 03**

नीचे वर्णित पदनामों को निम्नवत संशोधित किया गया है अतः दुर्घटना नियमावली -2018 में सभी जगहों पर इसे तदनुसार ही पढ़ा जाए :-

(1.) 'अध्यक्ष रेलवे बोर्ड' को संशोधित कर इस प्रकार से पढ़ें :- अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड

पू.म.रे /दुर्घटना नियमावली -(हिन्दी संस्करण-2018)संशोधन पर्ची -05 दिनांक 28.03.22

(2.) मंडल यांत्रिक इंजीनियर(पावर) को संशोधित कर निम्नवत पढ़ें :-

मंडल यांत्रिक इंजीनियर (टी एस )

पू.म.रे /दुर्घटना नियमावली -(हिन्दी संस्करण-2018) संशोधन पर्ची - 05 दिनांक 28.03.22

(3.) रेलवे बोर्ड अधिकारी - निदेशक (संरक्षा) - I, निदेशक (संरक्षा) - II, निदेशक (संरक्षा) - III के पदनामों को संशोधित कर निम्नवत पढ़ें :-

(i) कार्यकारी निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (संरक्षा) - I

(ii) कार्यकारी निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (संरक्षा) - II

(iii) कार्यकारी निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (संरक्षा) - III

पू.म.रे/ दुर्घटना नियमावली-(हिन्दी संस्करण-2018) संशोधन पर्ची -05 दिनांक 28.03.22

(4.) मु.परि.प्र. (मुख्य परिचालन प्रबंधक), मु.सं धि (मुख्य संरक्षा अधिकारी), मू.सु.आ (मुख्य सुरक्षा आयुक्त) मु.चि.निदे. (मुख्य चिकित्सा निदेशक) को संशोधित कर निम्नवत पढ़ें :-

(i) प्र.मु.परि.प्र. (प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक)

(ii) प्र.मू.सं.धि. (प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी)

(ii) प्र.मू.सु.आ (प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त)

(iii) प्र.मु.चि.नि, (प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक)

पू.रे.म /दुर्घटना नियमावली -(हिन्दी संस्करण-2018) संशोधन पर्ची-05 दिनांक 28.03.22

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के दुर्घटना नियमावली-(हिन्दी संस्करण-2018) को तदनुसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को संसूचित करेंगे।



(सलिल कुमार झा )

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

सं /ई .सी.आर /दुर्घटना नियमावली/परि.सं. /2/505 दिनांक : 28.03.2022